जलाधिकार

कमल किशोर सोन

# हर घर जल

***जल जीवन मिशन ने ग्रामीण भारत में पानी के प्रति एक नई चेतना का संचार किया है। इसने सरकार की भूमिका को प्रदाता से सहायक, समुदायों को लाभार्थी से संरक्षक और अवसंरचना को लक्ष्य से साधन में बदलकर परिभाषित किया है। जो पानी कभी अभाव का कारण था, वही अब गरिमा, लचीलापन और सशक्तीकरण का माध्यम बन रहा है। यही 'हर घर जल' का वादा और उसकी शक्ति है।***

पानी, जो प्राकृतिक संसाधनों में सबसे मौलिक है, हमेशा से सभ्यताओं की नियति तय करता आया है। भारत में, जहाँ नदियों ने आस्था, अनुष्ठान, आजीविका और राजनीति को प्रेरित किया है, वहाँ पानी केवल एक संसाधन नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और विकासात्मक अनिवार्यता है। फिर भी, सुरक्षित, पर्याप्त और नियमित पेयजल तक पहुँच दशकों से करोड़ों भारतीयों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों, की पहुँच से दूर रही है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा इस अन्याय को दूर करने और ग्रामीण जल शासन की एक नई परिभाषा स्थापित करने के लिए किया गया एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप था।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) को एक स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य के साथ परिकल्पित किया गया थाः हर ग्रामीण परिवार को एक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराना। लेकिन इस संख्यात्मक महत्वाकांक्षा से आगे एक गहरी संरचनात्मक रूपांतरण की परिकल्पना है–एक ऐसा रूपांतरण जो भारत की ग्रामीण जल व्यवस्था के केंद्र में सततता, समानता, विकेंद्रीकरण और सामुदायिक भागीदारी को लाता है।

## आंकड़े हमें क्या बताते हैं

मई 2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत 15.62 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों यानी लगभग 80 प्रतिशत परिवारों को नल से जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक ऐसे देश में, जहाँ कुछ वर्ष पहले तक महिलाएं पानी के लिए मीलों पैदल चलती थीं, यह आँकड़ा एक मौन लेकिन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है।

आठ राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) – गोवा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, मिज़ोरम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पुदुच्चेरी और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव ने 100 प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया है। उत्तराखंड, लद्दाख, बिहार, नागालैंड, सिक्किम और लक्षद्वीप 90 प्रतिशत से अधिक पर हैं और बाकी सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश 50 प्रतिशत से ऊपर पहुँच चुके हैं।

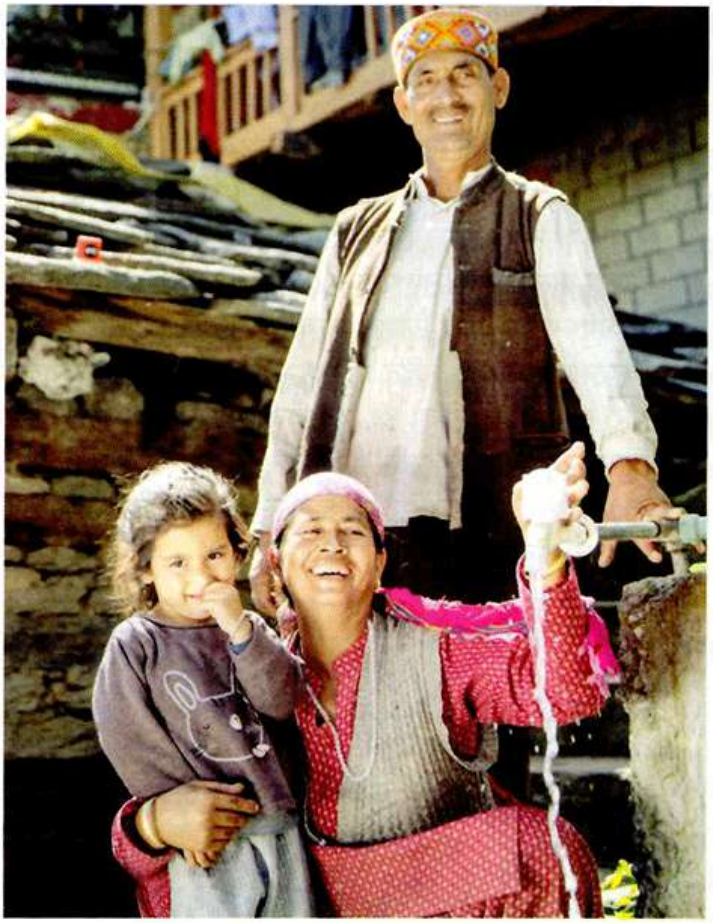

*पहाड़ी इलाकों में घरों तक स्वच्छ नल के पानी की पहुंच*

*लेखक भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक हैं।*
*ईमेलः as.jjm@gov.in*

*स्वच्छ परिवेश और कुशल सुविधाएं मुस्कान का कारण बनती है*

कई आकांक्षी ज़िले, जो कभी विकास सूचकांकों में पीछे थे, ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत उल्लेखनीय गति और नवाचार दिखाया है। इन ज़िलों के 79.13 प्रतिशत परिवारों को अब नल से जल कनेक्शन प्राप्त हो चुका है, जबकि 2019 में यह आंकड़ा केवल 7.77 प्रतिशत था। विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में भी वर्तमान कवरेज क्रमशः 89.57 प्रतिशत और 85.54 प्रतिशत से अधिक है।

फिर भी, जेजेएम कोई अल्पकालिक उपलब्धियों वाली योजना नहीं है। इसकी वास्तविक सफलता का पैमाना है – सेवा आपूर्ति की सततता, यह सुनिश्चित करना कि नल सूखे नहीं, पानी निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करे और प्रणालियों का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर जवाबदेही के साथ हो।

## बुनियादी ढाँचे से जनसेवा तक

बुनियादी ढांचा निर्माण पहला आवश्यक कदम है। लेकिन जल सुरक्षा को केवल हार्डवेयर इंस्टॉलेशन तक सीमित नहीं किया जा सकता। जेजेएम में कार्यक्षमता को तीन आपस में जुड़े परिणामों से मापा जाता हैः मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता। इसका अर्थ है कि हर नल से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम 55 लीटर पानी उपलब्ध हो, पानी बीआईएस 10500 पेयजल मानकों पर खरा उतरे और निरंतर आपूर्ति बनी रहे।

समय-समय पर किए गए कार्यक्षमता आकलन महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कई क्षेत्रों में भले ही बुनियादी ढांचे का कवरेज ऊँचा हो, लेकिन सेवा की विश्वसनीयता अब भी अलग-अलग कारकों जैसे स्रोत की नाजुकता, बिजली की उपलब्धता, शिकायत निवारण तंत्र और विविध संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) प्रणालियों के कारण भिन्न रहती है।

इसे संबोधित करने के लिए मिशन ने वास्तविक समय की निगरानी, मांग-आधारित फीडबैक लूप्स और जल जीवन सर्वेक्षण जैसे उपकरणों के माध्यम से जवाबदेही को संस्थागत रूप दिया है। इस स्तर की कार्यक्षमता को संस्थागत बनाने के लिए क्षमता के साथ-साथ संस्कृति में बदलाव की आवश्यकता है – यानी लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) को पारंपरिक नौकरशाही ढांचे से हटाकर एक फुर्तीला, नागरिक-उन्मुख उपयोगिता के रूप में पुनः कल्पित करना चाहिए।

## योजना की सततता सुनिश्चित करना

पेयजल योजनाओं की सततता कोई स्थिर परिणाम नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करती है कि तनाव या संकट के समय में भी सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तक निरंतर पहुँच बनी रहे। यह लक्ष्य एकीकृत योजना के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसमें तकनीकी मजबूती के साथ-साथ सामाजिक समानता, लैंगिक समावेशिता और स्थानीय प्राथमिकताओं का संतुलन होता है। इस सततता रूपरेखा को चार परस्पर-निर्भर आयाम परिभाषित करते हैंः

**1. स्रोत सततताः** वर्षभर विश्वसनीय जल उपलब्धता बनाए रखना, जिसके लिए भू-जल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और

पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया जाए।

**2. संस्थागत सततता:** संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ (वीडब्ल्यूएससी), ज़िला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) जैसी संस्थाओं को मजबूत बनाना।

**3. वित्तीय सततता:** अभिसरण निधि का उपयोग करना और समुदायों को स्थानीय रूप से तय किए गए समावेशी मॉडलों के माध्यम से संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) लागत की वसूली करने में सक्षम बनाना।

**4. सामाजिक एवं पर्यावरणीय सततता:** हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और अपशिष्ट जल का सुरक्षित निपटान करना, ताकि ऐसी व्यवस्थाएं विकसित हों जो लोगों के केंद्र में हों और पर्यावरणीय दृष्टि से भी टिकाऊ हों।

समुदाय-आधारित योजना और अभिसरण-आधारित कार्रवाई के माध्यम से सततता को आधार बनाकर, जल जीवन मिशन (जेजेएम) ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने और योजना के क्षरण को रोकने का प्रयास करता है।

कोई भी नल-जल प्रणाली बिना विश्वसनीय स्रोत के सतत रूप से कार्य नहीं कर सकती। फिर भी, स्रोत का क्षरण, भूजल का अत्यधिक दोहन और अनियमित वर्षा पैटर्न भारत के कई हिस्सों में ग्रामीण जल सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। जेजेएम इसे संबोधित करता है यह अनिवार्य कर कि योजनाओं में भू-जल पुनर्भरण, जल गहण विकास, झरना क्षेत्र प्रबंधन (विशेष रूप से हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में), वनीकरण, और पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार शामिल हो।

जल शक्ति अभियान – कैच द रेन इस प्रयास को और सशक्त बनाता है, जिसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से किया जाता है। स्रोत सततता की मांग है कि समुदाय पानी को एक साझा और चक्रीय संसाधन के रूप में देखें, न कि केवल एक उपभोग्य वस्तु के रूप में। नल-जल की पहुँच बढ़ने के साथ ही घरों में अपशिष्ट जल (ग्रे वाटर) भी बढ़ता है, जो रसोई, बाथरूम और कपड़े धोने के स्थानों से निकलता है।

इसे ध्यान में रखते हुए, जल जीवन मिशन (जेजेएम) ने ग्रे वाटर प्रबंधन को सततता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया है। सोख्ता गड्ढे, मैजिक पिट्स, किचन गार्डन और निर्मित आर्द्रभूमि जैसी स्थानीय और कम-तकनीकी समाधान घरों और समुदायों के स्तर पर प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। सिद्धांत स्पष्ट है: अपशिष्ट जल को बेकार नहीं बनने देना है; बल्कि उसका पुनः उपयोग सुनिश्चित करना है।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, नवाचारपूर्ण समुदाय-आधारित प्रणालियों का परीक्षण और विस्तार किया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन अन्य प्रमुख योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ भी जुड़ता है, जिससे संसाधनों का साझा उपयोग और एकीकृत योजना को और मजबूती मिलती है।

एक आशाजनक मॉडल राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के चिराना गाँव से सामने आया है, जहाँ एक विकेन्द्रित अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस) लागू की गई है। इस प्रणाली के तहत लगभग 250 घरों से ग्रे वाटर एक साधारण पाइपलाइन नेटवर्क द्वारा एक बड़े, खंडित टैंक में एकत्र किया जाता है। यहाँ पानी प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है, जिससे उसका जैविक और रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी और सीओडी) कम हो जाता है और यह पुनः उपयोग के लिए सुरक्षित बनता है। शोधित पानी का उपयोग फिर समुदाय द्वारा कृषि और सिंचाई की जरूरतों के लिए किया जाता है, जिससे भूजल स्रोतों पर दबाव कम होता है। यह पहल दर्शाती है कि स्थानीय सहभागिता, व्यावहारिक अभियांत्रिकी और पारिस्थितिक संवेदनशीलता का संयोजन कैसे अपशिष्ट जल को एक मूल्यवान संसाधन में बदल सकता है।

## तकनीक एक सहायक के रूप में

ग्रामीण नल जल आपूर्ति शासन के विकसित हो रहे परिदृश्य में, राज्य, ज़िला और स्थानीय स्तरों पर मौजूदा कमियों को दूर करना कुशल और विश्वसनीय सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) ने गाँव स्तर (वीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड), ज़िला स्तर (डीडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड), और राज्य स्तर (एसडब्ल्यूएसएम डैशबोर्ड) पर वास्तविक समय डिजिटल डैशबोर्ड की शुरुआत की है। ये डैशबोर्ड प्रमुख हितधारकों – जैसे ग्राम स्तर पर सरपंच और पंचायत सचिव, ज़िला स्तर पर ज़िला कलेक्टर, ज़िला परिषद् के सीईओ और कार्यपालक अभियंता तथा राज्य स्तर पर राज्य मिशन निदेशक, मुख्य सचिव और पीएचईडी प्रमुख को समय पर और क्रियात्मक जानकारी प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी को आसानी से सुलभ बनाकर, ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शासन की खामियों को दूर कर रहे हैं और ग्रामीण नल जल आपूर्ति योजनाओं की अधिक प्रभावी योजना, निगरानी और प्रबंधन को सक्षम बना रहे हैं। नेशनल जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) डैशबोर्ड एक सार्वजनिक पारदर्शिता उपकरण है, जो राज्यवार प्रगति, गाँववार कवरेज और योजना की स्थिति को ट्रैक करता है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित जल गुणवत्ता सेंसर, शिकायत निवारण पोर्टल, समुदाय के सदस्यों के लिए मोबाइल ऐप्स, और एसेट-मैपिंग टूल्स का उपयोग उत्तरदायित्व, दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। इस प्रयास के तहत एक प्रमुख प्लेटफॉर्म जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएसआईएस) है, जो फील्ड टेस्ट किट्स और प्रयोगशाला विश्लेषण के माध्यम से एकत्रित जल गुणवत्ता

## प्रकरण अध्ययन: कोटरी गाँव – सतत जल शासन का एक मॉडल

राजस्थान के शुष्क परिदृश्य में, अरावली पर्वतमाला के पास, प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित कोटरी गाँव कभी स्वच्छ जल की दैनिक समस्या से जूझता था। दो बस्तियों में फैले 550 आदिवासी परिवारों के लिए पीने योग्य पानी तक पहुँचना जनता जल योजना के तहत सार्वजनिक नल कनेक्शन और हैंडपंपों पर निर्भर था। ये स्रोत अक्सर गंदलेपन और प्रदूषण से प्रभावित रहते थे, जिससे हर बूंद स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाती थी।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत ने कोटरी के लिए एक नया मोड़ दिया। जुलाई, 2024 तक, हर घर में नल कनेक्शन उपलब्ध हो गया, जिससे स्वच्छ पानी की स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित हुई। लेकिन यात्रा केवल अवसंरचना तक सीमित नहीं रही। असली चुनौती थी जल प्रणालियों का सतत संचालन और रखरखाव (ओएंडएम)। शुरुआत में, समुदाय की भूमिका को लेकर स्पष्टता नहीं थी और ओएंडएम नीतियों का भी बहुत कम क्रियान्वयन हुआ था।

इस कमी को पहचानते हुए, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) ने, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) और यूनिसेफ के सहयोग से पहल की। क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, रणनीतिक योजना और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से वीडब्ल्यूएससी को गाँव की जलापूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त किया गया। यह भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण प्रारंभिक संवाद और जागरुकता से शुरू होकर ओएंडएम, शुल्क संग्रह और वित्तीय प्रबंधन पर विस्तृत प्रशिक्षण तक पहुँचा। एक महत्वपूर्ण पहलू था हैंडओवर चेकलिस्ट का विकास, जिससे पीएचईडी से वीडब्ल्यूएससी को जिम्मेदारी का सुचारु और दस्तावेज़ित हस्तांतरण सुनिश्चित हुआ।

इन प्रयासों का सबसे बड़ा परिणाम वित्तीय सततता के रूप में सामने आया। गाँव में पानी का शुल्क एकत्र कर वीडब्ल्यूएससी ने मार्च 2024 तक 11.54 लाख जमा किए, और हर महीने 15,000 का अधिशेष भविष्य के ओएंडएम कार्यों के लिए अलग रखा गया। जल प्रबंधन के लिए एक समर्पित बैंक खाता खोलने से यह भी सुनिश्चित हुआ कि रखरखाव और मरम्मत के लिए समय पर धन उपलब्ध रहे।

कोटरी की सफलता का एक अनोखा पहलू रहा है महिलाओं की भूमिका। गाँव की पाँच महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से रासायनिक और जीवाणु संबंधी परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। उनकी भागीदारी ने न केवल जल की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया, बल्कि उन्हें वीडब्ल्यूएससी में महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली भी बना दिया। जल सुरक्षा के इस सक्रिय दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया कि समुदाय लगातार उच्च जल गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए सतर्क रहे।

डेटा के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यह प्रणाली जल गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का समय पर पता लगाने और समाधान करने में मदद करती है। अब तक देशभर में 2,183 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे जल परीक्षण सुविधाओं की व्यापक पहुँच सुनिश्चित हुई है।

इन संरचनात्मक विकासों के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी पर भी विशेष बल दिया गया है। अब तक 24.83 लाख से अधिक महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट्स (एफटीके) का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जिससे वे अपने गाँवों में मौके पर ही जल गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में सक्षम हो सकें।

नागरिकों के लिए डेटा को आसानी से सुलभ बनाने के लिए, सिटिजन कॉर्नर (जो जल जीवन मिशन पोर्टल पर उपलब्ध है) ग्रामीण निवासियों को उनकी गाँव की जल आपूर्ति योजनाओं की स्थिति, जल गुणवत्ता डेटा, और अन्य प्रासंगिक जानकारी देखने की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि, इसके पीछे की मूल भावना स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी का उद्देश्य विकेंद्रीकृत शासन को समर्थन देना है, न कि केंद्रीकृत नियंत्रण को बढ़ावा देना। डिजिटल उपकरण निगरानी को सशक्त बना सकते हैं, लेकिन वे उस सामूहिक चेतना की जगह नहीं ले सकते जो जल के सतत प्रबंधन के लिए आवश्यक है।

### भागीदारी को संस्थागत रूप देना

शायद जल जीवन मिशन (जेजेएम) की सबसे क्रांतिकारी विशेषता यह है कि यह जल शासन की शक्ति संरचना को उलटने का प्रयास करता है। मिशन के केंद्र में यह विश्वास है कि गाँववाले अपने जल को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अब तक 5.14 लाख से अधिक ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ (वीडब्ल्यूएससी) गठित की जा चुकी हैं। ये समितियाँ 10 से 15 सदस्यों की होती हैं, जिनमें 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। ये समितियाँ योजना बनाने, क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निभाती हैं। कई राज्यों में, स्वयं सहायता समूह और महिला संगठनों ने जल गुणवत्ता परीक्षण, छोटे-मोटे मरम्मत कार्यों और जल शुल्क संग्रह जैसी जिम्मेदारियाँ संभालनी शुरू कर दी हैं।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) का आगे का मार्ग जन भागीदारी में गहराई से निहित है। यह सहभागी मॉडल यह सुनिश्चित करता है कि जल प्रणालियाँ बाहरी रूप से थोपे जाने वाली न होकर, आंतरिक रूप से स्वामित्व वाली, संरक्षित और सम्मानित हों।

पंचायती राज संस्थाएँ, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ (वीडब्ल्यूएससी) और सामुदायिक आधारित संगठन व्यवहार परिवर्तन लाने, बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और साझा जिम्मेदारी

की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रिम पंक्ति की भूमिका निभाएँगे।

नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजीएमपी) इस दिशा में एक और उल्लेखनीय कदम है। नल जल मित्र या फील्ड स्तर पर कार्य करने वाले ऑपरेटर, को ग्रामीण जल प्रणालियों की दैनिक देखभाल और सुचारू संचालन के लिए सक्षम बनाया जा रहा है।

वीडब्ल्यूएससी की कार्यात्मक शाखा के रूप में कार्य करते हुए, नल जल मित्रों (एनजीएम) को पंप, वॉल्व, ट्रीटमेंट यूनिट्स का प्रबंधन और फील्ड टेस्टिंग किट्स के माध्यम से जल गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। डिजिटल टूल्स की सहायता से वे संचालन से संबंधित डेटा दर्ज करते हैं, प्रणाली की समस्याओं की रिपोर्ट करते हैं, और रोकथामात्मक रखरखाव में सहयोग करते हैं। नियमित प्रशिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि वे प्रोटोकॉल के साथ अद्यतित रहें और कुशल, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवा वितरण में सार्थक योगदान दें।

आगे का रास्ता फुर्ती और समन्वय की माँग करता है। जनजातीय क्षेत्र, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित इलाके और जलवायु-संवेदनशील क्षेत्र जैसी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में सटीक डिलीवरी मॉडल, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील जनसंदेश और स्थानीय नवाचार की आवश्यकता है। जैसे-जैसे मिशन रेखीय विस्तार से आगे बढ़कर प्रणालीगत समेकन की ओर अग्रसर हो रहा है, इसे दो प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना होगा – समावेशी शासन और अनुकूलनशील लचीलापन। जल गुणवत्ता संबंधी चुनौतियाँ (जैसे फ्लोराइड, आर्सेनिक, लवणता), शहरी-ग्रामीण अंतःक्रिया और मौसमी तनाव के बिंदुओं को एक समग्र जोखिम रजिस्टर में शामिल किया जाना चाहिए।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) की परिपक्वता केवल नल कनेक्शन के आँकड़ों से नहीं, बल्कि संकटों से निपटने की क्षमता, सह-निर्माण को सशक्त बनाने, और मानवता के सबसे आवश्यक संसाधन पर नियंत्रण के लोकतंत्रीकरण से आंकी जाएगी। जेजेएम ने ग्रामीण भारत में जल को लेकर एक नई चेतना का बीज बोया है। इसने सरकार की भूमिका को सेवा प्रदाता से सुगमकर्ता, समुदायों को लाभार्थियों से संरक्षक, और बुनियादी ढांचे को लक्ष्य से साधन में परिवर्तित कर दिया है। भविष्य केवल बजट पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि जागरुकता, स्थानीय नेतृत्व और दीर्घकालिक पारिस्थितिक सोच पर आधारित होगा।

इस दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए, हमें लोगों, प्रक्रियाओं और भागीदारी में सतत निवेश करना होगा। जल, जो कभी वंचना का प्रतीक था, अब गरिमा, लचीलापन और सशक्तीकरण का माध्यम बनता जा रहा है। यही है 'हर घर जल' की शक्ति और उसका वादा। ❑

YH-2837/2025